

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक प12(3)(10)राज/2018/

दिनांक :- /3/2018

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक श्री विजय कुमार पुत्र श्री शूभाराव जाति नायडू निवासी 5-5-35/330/71 ए ए बी बी पुरम कुकतपल्ली हैदराबाद, (तेलंगाना) ने ग्राम धतरवालों का बास स्थित कृषि भूमि ख0न0 347 रकबा 0.89 है0, ख0न0 348 रकबा 0.65 है0, ख0न0 349 रकबा 0.69 है0 कुल रकबा 2.23 है0 में से सम्पूर्ण रकबा 2.23 है0 भूमि का कॉलोनी प्रोजेक्ट (आवासीय कॉलोनी) प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः उक्त आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6(26)राज-6/2014/33 दिनांक 6-10-2016 के अधीन तथा नियम 9(2) के अन्तर्गत अनुमोदित नक्शे के अनुसार अकृषिक प्रयोजन कॉलोनी प्रोजेक्ट (आवासीय कॉलोनी) के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री विजय कुमार पुत्र श्री शूभाराव जाति नायडू निवासी 5-5-35/330/71 ए ए बी बी पुरम कुकतपल्ली हैदराबाद, (तेलंगाना)
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा: (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम  (ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)  (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम धतरवालो का बास, ग्राम पंचायत ओजटू तहसील चिड़ावा  ख0न0 347, 348, 349 रकबा क्रमशः 0.89, 0.65, 0.69 है0 कुल रकबा 2.23 है0  ख0न0 347, 348, 349 रकबा क्रमशः 0.89, 0.65, 0.69 है0 कुल रकबा 2.23 है0 में से सम्पूर्ण रकबा (2.23 है0)
	टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	कॉलोनी प्रोजेक्ट (आवासीय कॉलोनी) प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम	चालान संख्या 210 दिनांक 26-2-18 राशि 1,67,250/- रुपये
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

जिला कलेक्टर, झिंझी  
(दिनेश कुमार यादव)

6. गाई फाईल
5. श्री विजय कुमार पुत्र श्री ब्रह्मराव जालि नाथई निवासी 5-5-35/330/71 ए ए बी श्री प्रेम कृकतपल्ली हैदराबाद, (तेलंगाना)।
4. सहायक अभियंता, सांठजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड बिडवा।
3. प्रभाषी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्टर झिंझी।
2. तहसीलदार/उप प्रतीयक बिडवा को पालनाथ।
1. उप खण्ड अधिकारी बिडवा।

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कायदाही है:-

कमाक प 12(3)(10)राज/2018/608-13

दिनांक: 21/3/2018  
जिला कलेक्टर, झिंझी  
(दिनेश कुमार यादव)


—3—

उपरोक्त संप्रतिबन् आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- (1) इंडियन रोड कांसेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क मरामाधिकार में आने वाली भूमि का राजहक में सम्भल करने के पश्चात ही निर्माण करेगा तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निधारित प्रतिमानों के अनुकूल विधिवत पहुँच मार्ग सृजितकर लिया जावे।
- (2) यदि प्राथी नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सांठजनिक निर्माण द्वारा सधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सांठजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- (3) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों की पालना करनी होगी एवं अनुमोदित योजना मानचित्र में स्थिषा क्षेत्र/पार्क/सड़क हेतु आरक्षित भूमि छोड़कर निधारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा।
- (4) राजस्व विभाग के परिपत्र प6(6)राज-6/92 पाट दिनांक 17-7-2007 के निर्देशों की पालना सृजितकर की जावे स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समुहल हो जायेगा।
- (5) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भूमि सांठजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना होगा। प्रस्तावित स्थल से पानी के निकाल एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु सरचना का निर्माण किया जावेगा।
- (6) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संप्रतिबन्धित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुशा प्रत्याहल कर ले जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समुहल हो जायेगा।
- (7) राजस्व विभाग, सांठजनिक निर्माण विभाग, सैटिलियम विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।
- (8) उपरोक्त अर्थिक प्रयोजन के लिये संप्रतिबन्धित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- (9) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अर्थिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- (10) उपरोक्त शर्तों की पालना करने का दावेदक आवेदक का होगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

नजरी नक्शा प्रस्तुत आवासीय (कालोनी प्रोजेक्ट)

ग्राम - धतरपाली कावास



24-11-17  
LUR सिद्धांत

24/11/17  
पर नोडल


24-11-17  
तहसीलदार - चिडावा

प्रमुख अधिकारी  
सकल शाखा  
कलेक्टर, मुंबई

- प्रस्तावित शर्मि
- ग्राम ओजटू की शर्मि
- प्रस्तावित शर्मि तक पहुंच का रास्ता जो वर्तमान में मोड़ पर मौजूद है एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है।

4-4 - 11 KV H.T. लाइन

नक्शा दिशतवार  
 ग्राम - खतरवासी व का...  
 तहसील चिडावा  
 जिला - झुन्डुनू  
 सन - १९६६-६८



राजठड में वि.सुखुड जमी डिया गया।

[Signature]  
 २५/११/६८  
 - ...  
 [Signature]  
 ...

C-5  
 24/11/68  
 तहसीलदार - चिडावा